

न्यायालय मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल ग्वालियर



RS. 30/-

R 5026II/17

1. बृजेन्द्र सिंह तनय स्व० शंकर सिंह सोनवंशी
2. शिवेन्द्र सिंह तनय स्व० शंकर सिंह सोनवंशी
3. सनत कुमार द्विवेदी तनय स्व० राममिलन द्विवेदी
4. रोहित कुमार तनय स्व० राममिलन राम ब्रा०
5. उमाशंकर तनय स्व० राममिलन राम ब्रा०

सभी निवासी ग्राम मझौली तहसील मझौली जिला सीधी म०प्र०
 अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह द्वारा प्रस्तुत 19.11.17

—आवेदक/निगरानीकर्तागण

केस नं० कोर्ट
 राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
 (सिकिंमिसेवक सिंह तनय टेढ़ई सिंह गोड़)

बनाम

1. रामकेशोर सिंह गोड़ तनय टेढ़ई सिंह गोड़
2. रामसुमिरन सिंह गोड़ तनय टेढ़ई सिंह गोड़
3. रामगोपाल सिंह गोड़ तनय टेढ़ई सिंह गोड़
4. राजाराम तनय भगोले सिंह गोंड
5. श्रीमती कृष्णा सिंह पत्नी स्व० शिवकुमार सिंह गोंड
6. श्रीमती दशमतिया पत्नी स्व० रामरतन सिंह गोंड
7. श्री फमेश सिंह तनय रामकरण सिंह गोंड
8. श्री चरण सिंह तनय जयकरण सिंह गोंड
9. श्रीमती तेरसिया पुत्री गल्होर सिंह गोंड

सभी निवासी ग्राम करमाई तहसील मझौली जिला सीधी म०प्र०


306

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5026-दो / 17

जिला सीधी

वृजेन्द्र सिंह वगैरः / रामसेवक सिंह वगैरः

(1)	(2)	(3)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अखण्ड प्रताप सिंह अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 21/अपील/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 31.12.16 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 12.01.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

10. श्रीमती तेरसिया पुत्री गल्होर सिंह गोंड

सभी निवासी ग्राम करमाई तहसील मझौली जिला रीवा म0प्र0